

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(22)का/आर.एम.एस./डीएलबी/16/ 4859

दिनांक : 2-4-19

आदेश

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 एवं कार्मिक विभाग के आदेश संख्या प.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 11.09.11 एवं अ.शा.टीप सं. 4(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./2008 दिनांक 12.09.12 की पालना में राजस्व निरीक्षक पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.19 की स्थिति को दर्शाते हुए निम्नानुसार जारी की जाती है। इस संबंध में किसी कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	नियुक्ति दिनांक	स्थाईकरण दिनांक	योग्यता	विशेष विवरण
01.	श्री नितेश भटनागर, न.नि. राजसमन्द	01.06.73	18.10.97	18.10.98	बी.एस.सी., एल.एस.जी. डी., पी.जी डिप्लोमा	
02.	श्रीमति लक्ष्मी परमार, नगर निगम, जयपुर	22.01.61	01.06.13	01.06.13	इन्टरमिडियट, एलएसजीडी, असैसर	
03.	श्री जितेन्द्र व्यास, नगर पालिका, आबू पर्वत	12.04.85	01.04.16	01.04.17	बी.कॉम, एम.बी.ए., एल. एस.जी.डी.	
04.	श्री मोहम्मद सुहैल शेख, नगर परिषद, भीलवाडा	14.08.85	01.04.16	01.04.17	बी. ए., एल.एस.जी.डी.	

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(क)(22)का/आर.एम.एस./डीएलबी/16/ 4860-5063 दिनांक : 2-4-19  
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
04. आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त को भेजकर लेख है कि आपकी नगर निकाय में यदि कोई स्थाई राजस्व निरीक्षक कार्यरत है एवं उपरोक्त सूची में उसका नाम नहीं है, तो कृपया उक्त कार्मिक की निर्धारित प्रपत्र में सूचना तैयार कर राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति एवं स्थाईकरण के आदेश की प्रति के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों व सेवापुस्तिका की प्रमाणित फोटो प्रति अविलम्ब भिजवावें, ताकि प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त उक्त कार्मिक का नाम जारी की जाने वाली स्थाई वरिष्ठता सूची में अंकित किया जा सके।
05. श्री .....राजस्व निरीक्षक, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
06. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

(सुनील भाटी)  
अतिरिक्त निदेशक